क.रा.बी.नि
E.S.I.C

தொழிலாளர் அரசு காப்பீட்டுக் கழகம்
(தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்புத்துறை அமைச்சகம், இந்திய அரசு)
கர்மचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, Govt of India)

सत्यमेव जयते

மண்டல அலுவலகம்(தமிழ்நாடு), பஞ்சதீப் பவன்
43, ஸ்டெர்லிங் சாலை நுங்கம்பாக்கம், சென்னை -34.
क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु), पंचदीप भवन ,
सं.143, स्टर्लिंग रोड, नुंगमबक्कम, चेन्नै - 600 034.
REGIONAL OFFICE (TAMILNADU), Panchdeep Bhavan,
143, Sterling Road, Nungambakkam, Chennai-600 034.
Phone: 28306300 (100 Lines): Fax: 28238559
E-mail: rd-tamilnadu@esic.nic.in

सं.51-एफ-25-11-2014-15/रोकड़ **दिनांक: .12.2025**

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: वर्ष 2025-2026 के आयकर विवरणी (अंतिम) का प्रस्तुतीकरण।

1. सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिनकी आय वित्तीय वर्ष **2025-2026** के दौरान ₹**2,50,000** से अधिक है, उन्हें दो **2** प्रतियों में वर्ष **2025-2026** (अंतिम) के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करनी होगी ताकि वर्ष **2025-2026** (अंतिम) के लिए आयकर राशि की गणना की जा सके। आय की गणना करते समय छूट का दावा विवरणी के संगत भाग में दर्शाना होगा। आयकर विवरणी का प्रपत्र संदर्भ हेतु संलग्न है।
2. आयकर विवरणी दिनांक **09.01.2026 तक अथवा उससे पहले** अनिवार्य रूप से क्षेत्रीय कार्यालय, चेन्नै के आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी.ओ./DDO), को प्रस्तुत कर दी जाए अन्यथा **माह जनवरी 2026 के वेतन और भत्ते आदि का आहरण नहीं किया जाएगा।**
3. इसके अलावा सभी शाखा प्रबंधकों से अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की सूची उनके पैन संख्या के साथ अलग से इस शाखा को रिकॉर्ड हेतु भेजे ताकि विवरणी की फाइलिंग की जा सके।
4. जिन कर्मचारियों के पास फिलहाल पैन नहीं है उनसे अनुरोध है कि वे उच्च दर पर आयकर की कटौती से बचने के लिए पैन हेतु तत्काल आवेदन करें , क्योंकि आयकर विवरणी में पैन का ब्यौरा भरना अनिवार्य है।
5. अतः सभी शाखा अधिकारियों/शाखा प्रबंधकों से अनुरोध किया जाता है कि वे जनवरी 2026 माह के वेतन बिल तैयार किए जाने हेतु अपनी-अपनी शाखा के कर्मचारियों की आयकर गणना विवरणी क्षेत्रीय कार्यालय की रोकड़ शाखा को उपलब्ध कराएँ।

6. गणना पत्रक के साथ परिपत्र की पावती भेजें तथा भरे हुए गणना पत्र की हार्ड कॉपी संबंधित अभिलेखों सहित यथाशीघ्र रोकड़ शाखा में सीधे जमा कराएं या डाक द्वारा प्रेषित करें।
7. यह क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी) की स्वीकृति से जारी किया जाता है।

टिप्पणी: आयकर विवरण के संबंध में अतिरिक्त पुष्टि के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर लॉग इन करें और 'एडवांस कैलकुलेटर' टैब का उपयोग करें।

https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/TaxCalc/calculator

उपर्युक्त लिंक सभी को वित्तीय वर्ष **2025-2026** के लिए पुरानी या नई व्यवस्था चुनने में सहायता करेगा।

अनुलग्नक-यथोपरि।

Digitally signed by
JITENDRA KUMAR
Date: 11-12-2025
12:36:43

सहायक निदेशक (**रोकड़**)

(आयकर गणना पत्रक सभी शाखाओं को ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा)

सेवा में,

सभी अधिकारी/सभी शाखाएं, क्षे.का./शा.का.प्र./सा.सु.अ./वै.स.कक्ष/चि.नि.का.,चेन्नै- सूचना एवं कड़ाई से अनुपालन हेतु।

प्रतिलिपि:

वित्त एवं लेखा शाखा को सूचनार्थ

सभी कार्मिकों तथा पेंशनभोगियों के लिए नई कर व्यवस्था के तहत आयकर की दर

	सभी स्रोतों से वार्षिक आय (सभी अनुमेय कटौतियों के बाद)	आय कर की दरें
1	₹4,00,000/- तक	शून्य
2	₹4,00,001/- से ₹8,00,000/- तक	कुल आय ₹4,00,000* से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि का 5%
3	₹8,00,001/- से ₹12,00,000/- तक	₹20,000/- + ₹8,00,000* से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि का 10%
4	₹12,00,001/- से ₹16,00,000/- तक	₹60,000/- + ₹12,00,000* से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि का 15%
5	₹16,00,001/- से ₹20,00,000/- तक	₹1,20,000/- + ₹16,00,000* से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि का 20%
6	₹20,00,001/- से ₹24,00,000/- तक	₹2,00,000/- + ₹20,00,000* से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि का 25%
7	₹24,00,000/- से अधिक	₹3,00,000/- + ₹24,00,000* से अधिक होने पर अतिरिक्त राशि का 30%
8	स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर	देय आयकर पर 4%

*धारा 87-ए के अंतर्गत ₹12,00,000 तक की आय पर अधिकतम ₹60,000 तक कर रिबेट उपलब्ध है। यदि कर-योग्य आय ₹12,00,000 से अधिक है, तो उपांतिक राहत (मार्जिनल रिलीफ) प्रदान किया जाएगा ताकि देय अतिरिक्त कर उस राशि से अधिक न हो, जिससे आय ₹12,00,000 से अधिक होती है।

टिप्पणी 1: वित्त वर्ष 2025-2026 से नई कर व्यवस्था को अपनाने वाले करदाताओं को ₹75,000 की मानक कटौती (Standard Deduction) उपलब्ध है।

टिप्पणी 2: उपर्युक्त कर स्लैब और नई कर व्यवस्था के लिए मानक कटौती वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए केंद्रीय बजट 2025-2026 तथा स्वामीज़ इनकम टैक्स ऑन सैलरीज़ 2025-2026 पर आधारित है।

<u>पुरानी कर व्यवस्था</u> के तहत आयकर की दर (60 वर्ष से कम उम्र वालों के लिए)

	सभी स्रोत से वार्षिक आय (सभी अनुमेय कटौतियों के बाद)	आय कर की दरें
1	₹2,50,000/- तक	शून्य
2	₹2,50,001/- से ₹3,00,000/- तक	2,50,000* रुपये से अधिक की कुल आय का 5%
3	₹3,00,001/- से ₹5,00,000/- तक	2,50,000* रुपये से अधिक की कुल आय का 5%
4	₹5,00,001/- से ₹10,00,000/- तक	रु. 12,500/- + रु. 5,00,000 से अधिक की कुल आय का 20%
5	₹10,00,001/- से ₹50,00,000/- तक	रु. 1,12,500/- + रु. 10,00,000 से अधिक की कुल आय का 30%
6	रु. 50,00,001/- और उससे अधिक	रु. 1,12,500/- + रु. 10,00,000 से अधिक की कुल आय का 30%
7	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	देय आयकर पर 4%

*** धारा 87-ए के तहत ₹12500 की कर रिबेट उपलब्ध है।**

पेंशनभोगियों (आयु >60 वर्ष और < 80 वर्ष) हेतु पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर की दर

	सभी स्रोत से वार्षिक आय (सभी अनुमेय कटौतियों के बाद)	आयकर की दरें
1	₹3,00,000/- तक	शून्य
2	₹3,00,001/- से ₹5,00,000/-	3,00,000* रुपये से अधिक की कुल आय का 5%
3	₹5,00,001/- से ₹10,00,000/-	रु. 10,000/- + रु. 5,00,000 से अधिक की कुल आय का 20%
4	₹10,00,001/- से ₹50,00,000/-	रु. 1,12,500/- + रु. 10,00,000 से अधिक की कुल आय का 30%
5	₹50,00,001/- और उससे अधिक	रु. 1,12,500/- + रु. 10,00,000 से अधिक की कुल आय का 30%
6	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	देय आयकर पर 4%

***धारा 87-ए के तहत ₹12500 की कर रिबेट उपलब्ध है।**

पेंशनभोगियों (80 वर्ष एवं उससे ऊपर) हेतु पुरानी कर व्यवस्था के तहत आयकर की दर

	सभी स्रोत से वार्षिक आय (सभी अनुमेय कटौतियों के बाद)	आय कर की दरें
1	₹5,00,000/- तक	शून्य
2	₹5,00,001/- से ₹10,00,000/-	5,00,000 रुपये से अधिक की कुल आय का 20%
3	₹10,00,001/- से ₹50,00,000/-	रु. 1,00,000/- + रु. 10,00,000 से अधिक की कुल आय का 30%
4	₹50,00,001/- और उससे अधिक	रु. 1,00,000/- + रु. 10,00,000 से अधिक की कुल आय का 30%
9	स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर	देय आयकर पर 4%

***धारा 87-ए के तहत ₹12500 की कर रिबेट उपलब्ध है।**

मकान किराया रिबेट-

दि.10.10.2013 के आयकर परिपत्र संख्या 08-2013एफ.सं.275/192/2013-आई.टी(बी) के अनुसार, यदि कर्मचारी द्वारा भुगतान किया किराया ₹100000/- प्रति वर्ष से अधिक है तो किराये की पावती में मकान मालिक का पैन ब्यौरा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि मकान मालिक के पास पैन ब्यौरा नहीं है तो कर्मचारी को उसके नाम और पते के साथ इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करनी होगी , अन्यथा मकान किराये में रिबेट पर विचार नहीं किया जाएगा।

एक से अधिक नियोक्ता होने की स्थिति में -

यदि किसी कर्मचारी को एक से अधिक नियोक्ता से वेतन/पेंशन प्राप्त हुई हो तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह दूसरे नियोक्ता से देय या प्राप्त आय का ब्यौरा प्रस्तुत करेगा। यह ब्यौरा स्वयं उसके द्वारा और उसके पिछले नियोक्ता द्वारा विधिवत सत्यापित होना चाहिए। वर्तमान नियोक्ता आय की कुल राशि हेतु स्रोत पर कर की कटौती करेंगे।